10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

जगदीश गौड़ पिता भद्दू गौंड जाति गौंड (आदिवासी)

निवासी म0नं0 26, ग्राम खुरसी, पोस्ट सगड़ा झपनी

तहसील व जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

2- श्री विष्णु अग्रवाल पिता श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल

निवासी ग्राम सालीवाड़ा तहसील व

जिला जबलपुर ---- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-06--16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

माननीय महोदय,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1929–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-6-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम हिनौतिया, प0ह0नं0 53/82 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं0 233 रकबा 0.400, खसरा नं0 234 रकबा 0.400 एवं खसरा नं. 235 रकबा 0.400 कुल 1.20 हैक्टर, ग्राम खुरसी प. ह.नं. 61 सगड़ाझपनी रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 236/1/2 रकबा 0.990 हैक्टर तथा ग्राम पिपरिया कला प.ह.नं. 62 चारघाट रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपर स्थित भूमि खसरा नं. 296 रकबा 0.180 को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु	

निगरानी 929 I/16 जगदीश गौंड़ विरूद्ध शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पर कलेक्टर द्वारा पुनः इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वे वर्तमान गाइड लाइन वर्ष 2016-17 के आधार पर भूमि के मूल्य की गणना कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि वर्ष 15-16 की गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि की कीमत 18,12,000/- होती है जबकि भूमि का सौदा 22,00,000/- में किया गया है जो वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन से भी अधिक है । उनका यह भी कहना है कि जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के अनुसार भूमि की गणना कर प्रतिवेदन देने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं जबकि आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया था कि वे वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर ही भूमि का विक्रय करेंगे क्रेताओं द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया था किंतु इस ओर कलेक्टर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और 2016-17 की गाइड लाइन के अनुसार पुनः प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 1929-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास करने के उपरांत आई है । आवेदित भूमि कम उपजाऊ है । आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें विक्रय संव्यवहार से आवेदन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, किंतु इसका कोई कारण नहीं दिया है जबकि उनके प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.220 हैक्टर भूमि शेष बचती है । । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 2015-16 के आधार पर आवेदित भूमि का मूल्य 18,12,000/- बताया है जबकि सौदा 22,00,000/- में हुआ है जो गाइड लाइन से अधिक है । जिलाध्यक्ष द्वारा 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं । चूंकि आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमो में एवं तर्को में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन वर्ष 2016-17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विक्रय करेंगे और क्रेतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित	

जगदीश गौंड़ विरूद्ध शासन आदि

निग:1929. II/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम हिनौतिया, प0ह0नं0 53/82 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं0 233 रकबा 0.400, खसरा नं0 234 रकबा 0.400 एवं खसरा नं. 235 रकबा 0.400 कुल 1.20 हैक्टर, ग्राम खुरसी प.ह.नं. 61 सगड़ाझपनी रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 236/1/2 रकबा 0.990 हैक्टर तथा ग्राम पिपरिया कला प.ह.नं. 62 चारघाट रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपर स्थित भूमि खसरा नं. 296 रकबा 0.180 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- केतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर